

## भारतीय संविधान नोट्स 2026 — Indian Constitution Complete Notes (Hindi + English)

SSC • UPSC • UPPSC • UPSSSC PET • Railway • Banking • CTET • NDA • CDS • Police • State PCS के लिए

Study Material

Hindi + English

Complete Notes

2026 Updated

भारतीय संविधान (Indian Constitution) भारत का सर्वोच्च कानून (Supreme Law of India) है। देश की शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्तियाँ, न्यायपालिका, संसद, राज्यों की भूमिका और लोकतांत्रिक प्रणाली इसी संविधान के अनुसार संचालित होती है।

यदि आप SSC, UPSC, UPPSC, UPSSSC PET, Railway, Banking, CTET, TET, NDA, CDS, Police, State PCS या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है।

### Overview

| Particular | Details                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Subject    | Indian Constitution                                      |
| Category   | Study Material                                           |
| Language   | Hindi + English                                          |
| Useful For | SSC, UPSC, Railway, Banking, UP Police, UPSSSC PET, CTET |
| Notes Type | Complete Notes                                           |
| PDF        | Available                                                |
| Updated    | 2026                                                     |

### भारतीय संविधान क्या है?

भारतीय संविधान (Constitution of India) देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है। यह निर्धारित करता है कि भारत में सरकार कैसे कार्य करेगी, नागरिकों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त होंगे, न्यायपालिका कैसे काम करेगी और केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रकार होगा।

भारत का संविधान विश्व के सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में से एक माना जाता है। इसे विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरणा लेकर तैयार किया गया है, लेकिन इसकी अपनी विशेष पहचान और संरचना है।

### भारतीय संविधान का इतिहास

भारत में संविधान बनाने की आवश्यकता स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही महसूस की जाने लगी थी। अंग्रेजी शासन के दौरान कई संवैधानिक सुधार किए गए, लेकिन वे भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। 1946 में संविधान सभा (Constituent Assembly) का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के लिए एक लोकतांत्रिक और आधुनिक संविधान तैयार करना था। लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की मेहनत के बाद संविधान तैयार हुआ और इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से यह पूरे देश में लागू हुआ। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस (Republic Day) मनाया जाता है।

### संविधान सभा (Constituent Assembly)

भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।

#### महत्वपूर्ण तथ्य

- पहली बैठक – 9 दिसंबर 1946
- अस्थायी अध्यक्ष – डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
- स्थायी अध्यक्ष – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष – डॉ. भीमराव अंबेडकर

### डॉ. भीमराव अंबेडकर का योगदान

डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार (Chief Architect) कहा जाता है। उन्होंने Drafting Committee के अध्यक्ष के रूप में संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

### भारतीय संविधान के जनक (Father of Indian Constitution) किसे कहा जाता है?

उत्तर: डॉ. बी. आर. अंबेडकर

### संविधान निर्माण में लगा समय व तिथियाँ

संविधान निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस दौरान संविधान सभा की 11 बैठकें आयोजित की गईं।

| घटना | तिथि |
|------|------|
|      |      |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| संविधान अपनाया गया | 26 नवंबर 1949 |
| संविधान लागू हुआ   | 26 जनवरी 1950 |

## भारतीय संविधान के स्रोत (Sources)

| देश            | अपनाई गई विशेषता              |
|----------------|-------------------------------|
| United Kingdom | संसदीय शासन प्रणाली           |
| United States  | मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा |
| Ireland        | नीति निदेशक तत्व              |
| Canada         | संघीय व्यवस्था                |
| Australia      | समवर्ती सूची                  |
| Germany        | आपातकालीन प्रावधान            |
| USSR (Russia)  | मौलिक कर्तव्य                 |
| South Africa   | संविधान संशोधन प्रक्रिया      |

## महत्वपूर्ण तथ्य (General Features)

- विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान।
- लोकतांत्रिक और गणराज्य व्यवस्था।
- संघीय प्रणाली के साथ मजबूत केंद्र।
- स्वतंत्र न्यायपालिका।
- एकल नागरिकता।
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।
- धर्मनिरपेक्ष राज्य।
- समाजवादी एवं लोकतांत्रिक गणराज्य।

## परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य

- ✓ संविधान सभा की पहली बैठक - 9 दिसंबर 1946
- ✓ संविधान अपनाया गया - 26 नवंबर 1949
- ✓ लागू हुआ - 26 जनवरी 1950
- ✓ Drafting Committee Chairman - डॉ. बी. आर. अंबेडकर
- ✓ President of Constituent Assembly - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- ✓ संविधान निर्माण में समय - 2 वर्ष 11 माह 18 दिन

## प्रस्तावना (Preamble)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) संविधान का परिचय (Introduction) मानी जाती है। यह संविधान के उद्देश्य, मूल सिद्धांतों और राष्ट्र के आदर्शों को स्पष्ट करती है। प्रस्तावना में "हम भारत के लोग" (We, the People of India) शब्दों से शुरुआत होती है, जिसका अर्थ है कि संविधान की शक्ति भारत की जनता से प्राप्त होती है।

### प्रस्तावना के प्रमुख शब्द

- Sovereign (संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न)
- Socialist (समाजवादी)
- Secular (धर्मनिरपेक्ष)
- Democratic (लोकतांत्रिक)
- Republic (गणराज्य)

### प्रस्तावना का उद्देश्य

- न्याय (Justice)
- स्वतंत्रता (Liberty)
- समानता (Equality)
- बंधुत्व (Fraternity)

**Exam Point:** "Socialist", "Secular" और "Integrity" शब्द 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए थे।

## भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

- विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान।
- संसदीय शासन प्रणाली।
- संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र।

- स्वतंत्र न्यायपालिका।
- एकल नागरिकता।
- मौलिक अधिकार।
- मौलिक कर्तव्य।
- नीति निदेशक तत्व।
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।
- धर्मनिरपेक्ष राज्य।
- संविधान सर्वोच्च है।
- कानून का शासन (Rule of Law)।

## भारतीय संविधान के भाग (Parts)

मूल संविधान में 22 भाग थे, जबकि वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं।

| Part       | विषय                     |
|------------|--------------------------|
| Part I     | Union and Territory      |
| Part II    | Citizenship              |
| Part III   | Fundamental Rights       |
| Part IV    | Directive Principles     |
| Part IVA   | Fundamental Duties       |
| Part V     | Union Government         |
| Part VI    | State Government         |
| Part IX    | Panchayati Raj           |
| Part IXA   | Municipalities           |
| Part XVIII | Emergency Provisions     |
| Part XX    | Constitutional Amendment |

## भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ (Schedules)

वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 Schedules हैं।

| Schedule | विषय                             |
|----------|----------------------------------|
| First    | राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश    |
| Second   | वेतन एवं भत्ते                   |
| Third    | शपथ                              |
| Fourth   | राज्यसभा सीटें                   |
| Fifth    | अनुसूचित क्षेत्र                 |
| Sixth    | जनजातीय क्षेत्र                  |
| Seventh  | Union, State एवं Concurrent List |
| Eighth   | 22 भाषाएँ                        |
| Ninth    | विशेष कानून                      |
| Tenth    | दल-बदल कानून                     |
| Eleventh | पंचायत                           |
| Twelfth  | नगरपालिकाएँ                      |

## मौलिक अधिकार (Fundamental Rights, Article 12-35)

### 1. समानता का अधिकार (Article 14-18)

- कानून के समक्ष समानता
- भेदभाव का निषेध
- सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर
- अस्पृश्यता का अंत
- उपाधियों का अंत

### 2. स्वतंत्रता का अधिकार (Article 19-22)

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

- भाषण की स्वतंत्रता
- संगठन बनाने का अधिकार
- देश में कहीं भी रहने का अधिकार
- व्यवसाय करने की स्वतंत्रता

### 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Article 23-24)

- मानव तस्करी पर रोक
- बाल श्रम पर रोक

### 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Article 25-28)

- धर्म मानने की स्वतंत्रता
- धर्म का प्रचार
- धार्मिक संस्थाएँ स्थापित करना

### 5. सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (Article 29-30)

- भाषा और संस्कृति की रक्षा
- अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार

### 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Article 32)

इसे संविधान की आत्मा (Soul of Constitution) कहा जाता है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था।

## मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)

मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया। ये Part IVA तथा Article 51A में दिए गए हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं।

### प्रमुख कर्तव्य

- संविधान का सम्मान करना।
- राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान।
- देश की एकता और अखंडता बनाए रखना।
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना।
- पर्यावरण की रक्षा करना।
- वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना।
- बच्चों को शिक्षा दिलाना (86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)।

## नीति निदेशक तत्व (DPSP, Article 36-51)

इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना करना है।

- आयरलैंड के संविधान से लिया गया।
- न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता।
- सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

## नागरिकता (Citizenship, Article 5-11)

भारत में Single Citizenship की व्यवस्था है।

## परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाले तथ्य

| प्रश्न             | उत्तर              |
|--------------------|--------------------|
| संविधान की आत्मा   | Article 32         |
| संविधान का हृदय    | Preamble           |
| मौलिक अधिकार       | Article 12-35      |
| मौलिक कर्तव्य      | Article 51A        |
| DPSP               | Article 36-51      |
| नागरिकता           | Article 5-11       |
| संविधान सर्वोच्च   | हाँ                |
| नागरिकता का प्रकार | Single Citizenship |

## संघीय कार्यपालिका व प्रमुख पद (Union Executive)

Part V (Articles 52-151) में संघीय कार्यपालिका का वर्णन है — राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी।

## राष्ट्रपति (President of India)

| Article    | विषय                |
|------------|---------------------|
| Article 52 | राष्ट्रपति का पद    |
| Article 53 | कार्यपालिका शक्ति   |
| Article 54 | राष्ट्रपति का चुनाव |
| Article 56 | कार्यकाल            |
| Article 61 | महाभियोग            |

- कार्यकाल - 5 वर्ष
- चुनाव - निर्वाचक मंडल (Electoral College)
- भारत के प्रथम राष्ट्रपति - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होते हैं।

### राष्ट्रपति की शक्तियाँ

**Executive:** प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश व चुनाव आयुक्त की नियुक्ति।  
**Legislative:** संसद सत्र बुलाना/स्थगित करना, लोकसभा भंग करना, अध्यादेश जारी करना (Article 123)।  
**Financial:** बजट प्रस्तुति की अनुमति, वित्त आयोग की नियुक्ति।  
**Judicial:** क्षमा (Pardon), दंड में कमी, दंड स्थगित करना।

### उपराष्ट्रपति (Vice President) — Article 63

- राज्यसभा के पदेन सभापति (Ex-Officio Chairman)
- कार्यकाल - 5 वर्ष

### प्रधानमंत्री (Prime Minister) — Article 74

राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी।

- मंत्रिपरिषद का गठन
- मंत्रालयों का बंटवारा
- सरकारी नीतियाँ तय करना
- राष्ट्रपति को सलाह देना
- संसद में सरकार का नेतृत्व

### मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)

प्रकार: Cabinet Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers। Cabinet सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्था होती है।

## संसद (Parliament of India) — Article 79

संसद तीन भागों से मिलकर बनती है — राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा।

### लोकसभा (Lok Sabha) — House of the People

- अधिकतम सदस्य - 552
- वर्तमान निर्वाचित सदस्य - 543
- कार्यकाल - 5 वर्ष
- न्यूनतम आयु - 25 वर्ष

### राज्यसभा (Rajya Sabha) — Council of States

- अधिकतम सदस्य - 250
- वर्तमान सदस्य - 245 (समय के अनुसार परिवर्तन संभव)
- स्थायी सदन, कभी भंग नहीं होती
- प्रत्येक दो वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं
- न्यूनतम आयु - 30 वर्ष

### संसद के प्रमुख कार्य

- कानून बनाना।
- बजट पारित करना।
- सरकार पर नियंत्रण रखना।
- संविधान संशोधन करना।

## न्यायपालिका (Judiciary)

**सर्वोच्च न्यायालय (Article 124):** भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में स्थित, संविधान का संरक्षक, न्यायिक समीक्षा का अधिकार।  
**उच्च न्यायालय (Article 214):** प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा।

राज्य स्तरीय पद

**राज्यपाल (Article 153):** राज्य का संवैधानिक प्रमुख, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकाल 5 वर्ष।  
**मुख्यमंत्री (Article 164):** राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं।

अन्य संवैधानिक संस्थाएँ

| संस्था                          | Article     |
|---------------------------------|-------------|
| महान्यायवादी (Attorney General) | Article 76  |
| CAG                             | Article 148 |
| निर्वाचन आयोग                   | Article 324 |
| वित्त आयोग                      | Article 280 |
| UPSC                            | Article 315 |

आपातकाल (Emergency)

| प्रकार            | अनुच्छेद    |
|-------------------|-------------|
| राष्ट्रीय आपातकाल | Article 352 |
| राष्ट्रपति शासन   | Article 356 |
| वित्तीय आपातकाल   | Article 360 |

**राष्ट्रीय आपातकाल के कारण:** युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह।  
**राष्ट्रपति शासन:** यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए।  
**वित्तीय आपातकाल:** यदि देश की वित्तीय स्थिति गंभीर हो जाए।

संविधान संशोधन (Article 368)

| संशोधन | महत्व                   |
|--------|-------------------------|
| 42वाँ  | Mini Constitution       |
| 44वाँ  | Emergency में परिवर्तन  |
| 52वाँ  | Anti Defection Law      |
| 61वाँ  | मतदान आयु 21 से 18 वर्ष |
| 73वाँ  | पंचायत                  |
| 74वाँ  | नगरपालिकाएँ             |
| 86वाँ  | शिक्षा का अधिकार        |

Exam Revision — Article Quick List

| Article | विषय                          |
|---------|-------------------------------|
| 1       | भारत राज्यों का संघ है        |
| 3       | नए राज्य का गठन               |
| 14      | समानता का अधिकार              |
| 15      | भेदभाव का निषेध               |
| 16      | समान अवसर                     |
| 17      | अस्पृश्यता का अंत             |
| 19      | स्वतंत्रता का अधिकार          |
| 21      | जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता |
| 21A     | शिक्षा का अधिकार              |
| 23      | मानव तस्करी का निषेध          |
| 24      | बाल श्रम निषेध                |
| 25      | धार्मिक स्वतंत्रता            |
| 32      | संवैधानिक उपचार               |
| 36-51   | नीति निदेशक तत्व              |
| 51A     | मौलिक कर्तव्य                 |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 52  | राष्ट्रपति           |
| 63  | उपराष्ट्रपति         |
| 74  | मंत्रिपरिषद          |
| 76  | महान्यायवादी         |
| 79  | संसद                 |
| 80  | राज्यसभा             |
| 81  | लोकसभा               |
| 110 | धन विधेयक            |
| 112 | वार्षिक बजट          |
| 123 | अध्यादेश             |
| 124 | सर्वोच्च न्यायालय    |
| 148 | CAG                  |
| 153 | राज्यपाल             |
| 155 | राज्यपाल की नियुक्ति |
| 214 | उच्च न्यायालय        |
| 280 | वित्त आयोग           |
| 315 | UPSC                 |
| 324 | निर्वाचन आयोग        |
| 352 | राष्ट्रीय आपातकाल    |
| 356 | राष्ट्रपति शासन      |
| 360 | वित्तीय आपातकाल      |
| 368 | संविधान संशोधन       |

One Liner Notes (Quick Revision)

- भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
- संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया।
- 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
- Drafting Committee के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे।
- प्रस्तावना संविधान का परिचय है।
- अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है।
- अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है।
- भारत में एकल नागरिकता (Single Citizenship) है।
- वर्तमान संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं।

20 Important MCQs

Q1. भारतीय संविधान कब लागू हुआ?

- A. 15 August 1947
- B. 26 January 1950 ✓
- C. 26 November 1949
- D. 2 October 1950

Q2. भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन हैं?

- A. महात्मा गांधी
- B. जवाहरलाल नेहरू
- C. डॉ. बी. आर. अंबेडकर ✓
- D. सरदार पटेल

Q3. संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे?

- A. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ✓
- B. नेहरू
- C. पटेल
- D. अंबेडकर

Q4. संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है?

उत्तर: Article 32 ✓

Q5. संविधान का हृदय किसे कहा जाता है?

उत्तर: Preamble ✓

Q6. मौलिक अधिकार किस भाग में हैं?

उत्तर: Part III ✓

Q7. मौलिक कर्तव्य किस भाग में हैं?

उत्तर: Part IVA ✓

Q8. नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं?

उत्तर: Part IV ✓

Q9. मतदान की आयु 18 वर्ष किस संशोधन से हुई?

उत्तर: 61वाँ संशोधन ✓

Q10. Mini Constitution किस संशोधन को कहा जाता है?

उत्तर: 42वाँ संशोधन ✓

Q11. राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है?

उत्तर: 5 वर्ष ✓

Q12. राज्यसभा को क्या कहा जाता है?

उत्तर: Council of States ✓

Q13. लोकसभा का न्यूनतम चुनाव लड़ने की आयु?

उत्तर: 25 वर्ष ✓

Q14. राज्यसभा की न्यूनतम आयु?

उत्तर: 30 वर्ष ✓

Q15. निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है?

उत्तर: Article 324 ✓

Q16. UPSC किस अनुच्छेद में है?

उत्तर: Article 315 ✓

Q17. सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है?

उत्तर: Article 124 ✓

Q18. आपातकाल कितने प्रकार का होता है?

उत्तर: 3 ✓

Q19. संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है?

उत्तर: Article 368 ✓

Q20. भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है?

उत्तर: "हम भारत के लोग" (We, the People of India) ✓

## FAQs

**भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है?**

वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं।

**भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं?**

वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ (Schedules) हैं।

**भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं?**

मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। समय-समय पर संशोधनों के कारण वर्तमान संरचना में परिवर्तन हुए हैं।

**संविधान कब लागू हुआ?**

26 जनवरी 1950।



## भारतीय संविधान किस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है?

SSC, UPSC, Railway, Banking, UP Police, UPSSSC PET, CTET, TET, NDA, CDS और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए।

### निष्कर्ष

भारतीय संविधान प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा का आधारभूत विषय है। यदि आप इसके इतिहास, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संशोधनों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो संविधान से जुड़े अधिकांश प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। नियमित Revision और MCQs का अभ्यास आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा।